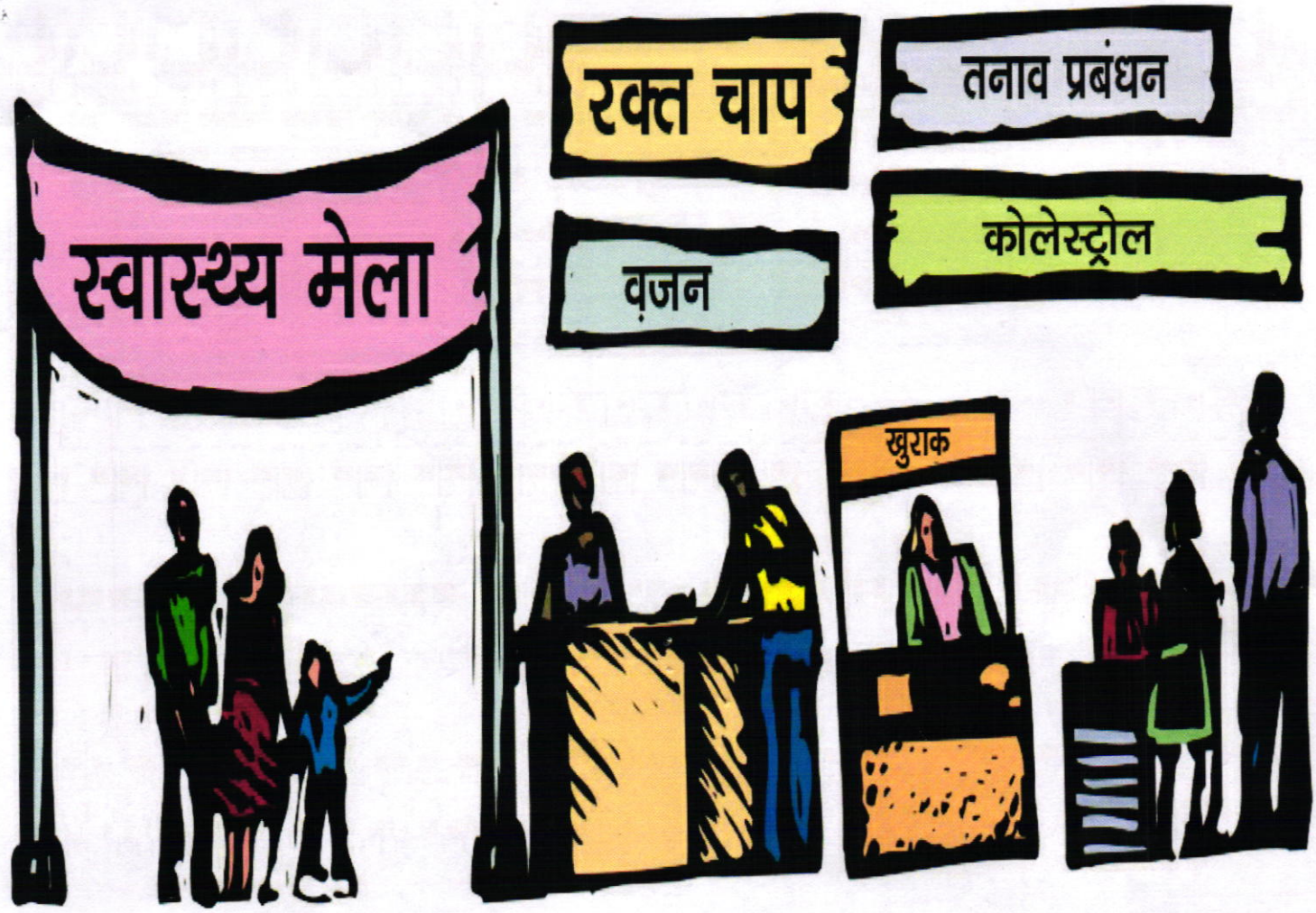

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने हेतु दिशा–निर्देश

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
जुलाई, 2018

1. प्रस्तावना

भारत में संचारी और गैर-संचारी दोनों ही प्रकार की बीमारियों का बोझ है तथा इनमें से अनेक बीमारियां ऐसी हैं, जिनका निवारण, शीघ्र निदान करके स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराकर, समय से रेफर और प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप की व्यापकता भी बहुत अधिक है, जो 5-10% तक है। इसके अलावा,प्रत्येक वर्ष कैंसर के 8 लाख मामलों का पता लगाया जाता है तथ लगभग 60-80% ऐसे होते हैं, जिनकाबाद में पता लगता है। लगभग 8% जरा-चिकित्सा आबादी घर में रहती है तथा अनेक बीमारियोंसे पीड़ित हैं। देश के अनेक ग्रामीण इलाकों में विशिष्ट सुविधाओं की कमी देखी जाती है। जानकारी का अभाव होना और स्वास्थ्य प्राप्त करनेके प्रति लोगों का उदासीन रवैया अनेक बीमारियों के मुख्य आधारभूत कारण हैं। किए गए अनेकअध्ययन और साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि शीघ निदान और रोकथाम से रुग्णता तथा निवार्य मौतों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

लोगों के स्वास्थ्य में प्रगामी सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि एक स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने और उसे जीवन में उतारने के लिए तथा ऐसा कुछ करने, जो स्वयं उनके तथा अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, से बचने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाए। ऐसे मेलों के आयोजन, जहां विभिन्न बीमारियों के साथ-साथ उनकी रोकथाम के बारे में किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। अन्य स्वास्थ्य परिचर्या की तरह लोगों में लोकप्रिय हुआ है। ये मेले न केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के, बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए सक्षम साधन भी हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा और शीघ्र निदान उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने की कार्यनीति अपनाई है। इन स्वास्थ्य मेलों की संकल्पना अपेक्षित रोग विज्ञानीय जांच और चिकित्सा के साथ गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लाखों लोगों को आकर्षित करने के लिए की गई है। इन मेलों में केंद्रीय सरकार,राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी इत्यादि) के बारे में लोगों को जानकारी देने में भी सहायता मिलेगी।

विशेष तौर पर जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर तबके के क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने के संबंध में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी), 2000 में भी उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य मेले न केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनसंख्या संबंधी मामलोंके संबंध में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने में सफल सिद्ध हुए हैं, बल्कि उन क्षेत्रों के लोगों को भी वास्तविक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सफल रहे हैं।